रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 956]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016/वैशाख 1, 1938

No. 956]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/VAISAKHA 1, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2016

का.आ. 1467(अ).—राष्ट्रपित संविधान के अनुछच्छेद 239 के खंड (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, एतदद्वारा यह निदेश देते हैं कि आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत राष्ट्रपित के नियंत्रण के अध्यधीन एवं अगले आदेशों तक, समस्त संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य सरकार की शक्तियां प्रयोग की जाएंगी एवं कार्य निष्पादित किए जाएंगे।

[फा. सं. यू-11030/05/2015-यू.टी.एल.] हितेश कुमार एस. मकवाना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOMEAFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2016

S.O. 1467(E).— In pursuance of the powers conferred under clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President hereby directs that powers and functions of the State Government under sub-section (1) of Section 6 of the Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909) shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised and discharged by the Administrator of all the Union Territories within their respective Union Territories.

[F.No.U-11030/05/2015-UTL] HITESH KUMAR S. MAKWANA, Jt. Secy.

1909 GI/2016